भारत सरकार
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
कृषि एवं किसान कल्याण विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 3814
11 अगस्त, 2026 को उत्तरार्थ

विषय- जलवायु अनुकूल कृषि

3814. श्री सौमित्र खानः
श्री मितेशभाई रमेशभाई पटेल:

क्या **कृषि और किसान कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) मंत्रालय द्वारा वित्तीय वर्ष 2026-27 के दौरान जलवायु-अनुकूल और जलवायु-अनुरूप कृषि को बढ़ावा देने के लिए देश में विशेषकर बिष्णुपुर लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र अथवा पश्चिम बंगाल राज्य में कौन सी प्रमुख पहलें की गई हैं;
(ख) क्या क्षेत्र-विशिष्ट फसल विविधीकरण कार्यनीतियों और जलवायु-अनुकूल बीज किस्मों को बढ़ावा दिया गया है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
(ग) जलवायु-अनुकूल पद्धतियों को अपनाने के लिए किसानों को प्रदान की गई वित्तीय और तकनीकी सहायता का ब्यौरा क्या है?

उत्तर
कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री (श्री रामनाथ ठाकुर)

(क) से (ग): सरकार, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर) के माध्यम से, पश्चिम बंगाल राज्य सहित देश भर में जलवायु अनुकूल कृषि में राष्ट्रीय नवाचार (एनआईसीआरए) नामक परियोजना का कार्यान्वयन कर रही है। इस परियोजना के तहत, जलवायु परिवर्तन पर अंतरसरकारी पैनल (आईपीसीसी) के अनुसार, 651 कृषि जिलों के लिए जलवायु परिवर्तन के जोखिम और संवेदनशीलता का आकलन किया गया है। जलवायु परिवर्तन के प्रति संवेदनशील रूप में पहचाने गए 310 जिलों में से, 201 को 'उच्च' जलवायु-संवेदनशील और 109 को 'अत्यंत उच्च' जलवायु-संवेदनशील के रूप में वर्गीकृत किया गया है। 'उच्च' श्रेणी के 201 जिलों में से 11 जिले पश्चिम बंगाल राज्य में आते हैं। 'अत्यंत उच्च' श्रेणी के 109 जिलों में से 3 जिले पश्चिम बंगाल में आते हैं। बिष्णुपुर लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले किसी भी जिले को 'उच्च' या 'अत्यंत उच्च' श्रेणी के अंतर्गत जलवायु-संवेदनशील के रूप में चिह्नित नहीं किया गया है। मौसम संबंधी अनियमितताओं से निपटने और स्थान-विशिष्ट जलवायु-अनुकूल फसलों, किस्मों और प्रबंधन पद्धतियों की अनुशंसा करने के लिए इन जिलों के लिए जिला कृषि आकस्मिक योजनाएँ (डीएसीपी) तैयार की गई हैं। जलवायु परिवर्तनशीलता के प्रति किसानों की सहनशीलता और अनुकूलन क्षमता को बढ़ाने के लिए, परियोजना के तहत 151 जिलों में केवीके के माध्यम से स्थान-विशिष्ट जलवायु-अनुकूल प्रौद्योगिकियों का प्रदर्शन किया गया है। इन 151 जलवायु रूप से संवेदनशील जिलों में से 7 जिले पश्चिम बंगाल में हैं, जिनमें दार्जिलिंग, कूच बिहार, मालदा, मुर्शिदाबाद, 24-परगना (उत्तर), पुरुलिया और 24-परगना (दक्षिण) शामिल हैं। इसके अतिरिक्त, आईसीएआर ने पिछले 10 वर्षों (2014-2024) के दौरान 2,900 फसल किस्में जारी की हैं। इनमें से 2,661 किस्में एक या अधिक जैविक और/या अजैविक प्रतिकूल परिस्थितियों के प्रति सहनशील हैं।

इसके अतिरिक्त, जलवायु अनुकूल और जलवायु स्मार्ट कृषि को बढ़ावा देने के लिए सरकार लंबे समय से कई केंद्रीय और केंद्र प्रायोजित योजनाओं को लागू कर रही है। 'पर ड्रॉप मोर क्रॉप' योजना का उद्देश्य सूक्ष्म सिंचाई तकनीकों, जैसे ड्रिप और स्प्रिंकलर सिंचाई प्रणालियों के माध्यम से खेत स्तर पर जल उपयोग दक्षता बढ़ाना है। वर्षा आधारित क्षेत्र विकास योजना उत्पादकता बढ़ाने और जलवायु परिवर्तनशीलता से जुड़े जोखिमों को कम करने के लिए एकीकृत कृषि प्रणाली को बढ़ावा देती है। मृदा स्वास्थ्य एवं उर्वरता योजना उर्वरकों के विवेकपूर्ण उपयोग के माध्यम से एकीकृत पोषक तत्व प्रबंधन को

बढ़ावा देने में राज्यों की सहायता करती है। परंपरागत कृषि विकास योजना (पीकेवीवाई) के माध्यम से जैविक खेती और राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन (एनएमएनएफ) के माध्यम से प्राकृतिक खेती को बढ़ावा दिया जाता है। दलहन में आत्मनिर्भरता मिशन, राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन - तिलहन और राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा एवं पोषण मिशन (एनएफएसएनएम) फसल विविधीकरण को बढ़ावा देते हैं। एकीकृत बागवानी विकास मिशन (एमआईडीएच), कृषि वानिकी और राष्ट्रीय बांस मिशन (एनबीएम) भी कृषि में जलवायु अनुकूलता को बढ़ावा देते हैं। पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना (आरडब्ल्यूबीसीआईएस) के साथ प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (पीएमएफबीवाई) फसल नष्ट होने पर व्यापक बीमा कवर प्रदान करती हैं, जिससे किसानों को प्राकृतिक आपदाओं और जलवायु संबंधी जोखिमों से होने वाले नुकसान की भरपाई में मदद मिलती है। इन योजनाओं के तहत योजना के दिशानिर्देशों के अनुसार वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, किसानों को जलवायु परिवर्तन के अनुकूल कृषि पद्धतियों को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से, वर्ष 2026-27 के दौरान बिष्णुपुर लोकसभा क्षेत्र में सुगंधित धान की स्वदेशी किस्मों का प्रदर्शन किया गया है। खेत बचाओ अभियान के माध्यम से जैविक खेती को बढ़ावा दिया जा रहा है, साथ ही मृदा स्वास्थ्य और उर्वरता पर जागरूकता कार्यक्रम भी चलाए जा रहे हैं। मक्का और अरहर की खेती के माध्यम से फसल विविधता को बढ़ावा दिया जा रहा है, जबकि उच्चभूमि क्षेत्रों में न्यूट्री-सीरिअल (रागी) की खेती को प्रोत्साहित किया जा रहा है। प्राकृतिक खेती पद्धतियों को बढ़ावा देने के लिए प्राकृतिक कृषि कर्मशाला कार्यान्वित की गई है। सुगंधित धान के प्रदर्शन के लिए 154.91 लाख रुपए, फसल विविधीकरण कार्यक्रम के लिए 112.50 लाख रुपए, प्राकृतिक कृषि कर्मशाला के लिए 21.50 लाख रुपए, न्यूट्री- सीरिअल (रागी) को बढ़ावा देने के लिए 15.00 लाख रुपए और खेत बचाओ अभियान के लिए 4.73 लाख रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान की गई है। जलवायु-अनुकूल खेती पद्धतियों को अपनाने में सुविधा प्रदान करने के लिए प्रदर्शनों, किसान जागरूकता कार्यक्रमों और प्रशिक्षण के माध्यम से तकनीकी सहायता प्रदान की जा रही है।
